न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 76/2022
GCMS NO. : 2022/159

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. शारदा पत्नी ओमप्रकाश 2. प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग 3. राहुल पुत्र ओमप्रकाश नाबालिग सायलान संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता शारदा पत्नी ओमप्रकाश जाति– भाम्बी, निवासी– लितरिया, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)।		1. ओमप्रकाश पुत्र भेराजी जाति भाम्बी निवासी लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली। 2. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू:–18.05.2022

उपस्थितः–
1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 28/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 ओमप्रकाश की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 128 रकबा 2.1853 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिस पर सायलान् अपने हिस्से माफिक काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थनापत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सायलान् संख्या 1 शारदा गैरसायलान् संख्या 1 की पत्नी है तथा सायलान् संख्या 2 प्रवीण व 3 राहुल गैरसायलान् संख्या 1 के पुत्रगण है तथा गैरसायलान् संख्या 1 के पिता का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी नामान्तरण संख्या 371 दिनांक 23/07/2002 को विरासत के रूप मे गैरसायलान् संख्या 1 व उनके अन्य दीगर वारिसान का नाम राज[illegible]ई मे दर्ज हुआ। उक्त जमीन गैरसायलान् संख्या 1 को विरासत [illegible] आराजी गैरसायलान् संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी नही है, उक्त वादग्रस्त आराजी सायलान् एवं गैरसायलान् संख्या 1 का बहिस्सा बराबर आता है। सायलान् संख्या 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गैरसायलान् संख्या 1 के आपस मे मनमुटाव होने से गैरसायलान् संख्या 1 शराब पीकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता है तथा गैरसायलान् संख्या 1 अपनी पत्नी व बच्चो को रोटी कपड़ा व मकान भी नहीं दे रहा है तथा वादग्रस्त आराजी मे से अपने सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि को वाले वाले बेचान बक्सीस रहन वसीयत आदि करना चाहता है जबकि सायलान् संख्या 1 गैरसायलान् संख्या 1 की शादीसुदा पत्नी है तथा सायलान् संख्या 2 व 3 गैरसायलान् संख्या 1 के जायन्दा संतान है इनके भरण पोषण करने के लिये कोई साधन नहीं है तथा भरण पोषण करने का दायित्व गैरसायलान् संख्या 1 का है जो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है शराब पीकर सायलान् के साथ मारपीट करता है मजबूरन सायलान् संख्या 1 को मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है तथा सायलान् संख्या 2 व 3 नाबालिग है तथा वर्तमान में पढाई कर रहे है। जिसके पढाई के खर्चा बाबत् भी गैरसायलान् संख्या 1 खर्चा नही दे रहा है। गैरसायलान् संख्या 1 ने पूर्व मे उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा और पैतृक जमीन आई हुई थी, जिसको भी परिवार में कोई बिना जायज जरूरत के भू माफिया एवं खनन माफियाओ के बहकावे मे आकर बेचान कर दी तथा पीछे बची जमीन उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को भी बेचान करने की दिनांक 15/05/2022 को ऐलानिया धमकीया दी। इसलिए गैरसायलान् संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान हस्तान्तरण करने से रोका जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी पैड़क पुश्तैनी होने से सायलान् प्रार्थनापत्र के पद संख्या में वर्णित वादग्रस्त संख्या 2 व 3 का जन्मतः हक अधिकार निहित है एवं सायलान् संख्या 1 गैरसायलान् संख्या 1 की विवाहिता पत्नी होने से गैरसायलान् संख्या 1 के नाम की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि में कानूनन हक अधिकार निहित है एवं सायलान् के पास उक्त वादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य आय का स्त्रोत नहीं है इसलिए गैरसायलान् संख्या 1 व सायलान् को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व राजस्व रेकर्ड मे गैरसायलान् संख्या 1 के नाम के साथ सायलान् का नाम भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के सायलान् अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से उक्त वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत, खूर्दबुर्द आदि करने का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान् संख्या 1 शराबी व्यक्ति है जो खनन माफिया के बहकावे में आकर उक्त आराजी का किसी अजनबी केता को बेचान बक्सीस रहन आदि कर देगा तो सायलान् अपने जायज हक अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये वंचित रह [illegible]। सायलान् के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। सायलान् को गैरसायलान् [illegible] विविध प्रकार की मुकदमेबाजी करनी पडेगी जिससे [illegible] हो जायेगे एवं सायलान् को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति गैरसायलान् [illegible]ख्या 1 किसी भी सूरत मे अदा नही कर सकेगा। इसलिए गैरसायलान् संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बेचान बक्सीस रहन वसीयत आदि करने व गैरसायलान् संख्या 1 गैरसायलान् संख्या 5 के समक्ष ऐसा दस्तावेज पेश करे तो उसका पंजीयन नही करे बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित होने से सायलान् की और से प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होने से सायलान् को गैरसायलान् संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है उक्त वादग्रस्त आराजी गैरसायलान् संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से गैरसायलान् संख्या 1 बाले बाले बेचान बक्सीस रहन वसीयत करने पर आमादा है इसलिए सायलान् गैरसायलान् संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो दस्तावेजात एवं सायलान् का उनके हक हिस्से की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष मे है यदि गैरसायल संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर पैतृक पृश्तैनी सम्पति का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देता है एवं सायलान् को उनके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देता है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायलान अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगे एवं सायलान् गैरसायल संख्या 1 द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो का मौके पर विरोध करेगे तो मौके पर वाद विवाद होगा एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी तथा पेचीदगिया बढेगी । इसलिए गैरसायल संख्या 1 द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सायलान् की और से विरुद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लितरिया स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 128 रकबा 2.1853 हैक्टर भूमि अप्रार्थी ओमप्रकाश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जो प्रार्थीया शारदा का पति एवं प्रार्थीगण प्रवीण व राहुल का पिता है। जिसे जरिए फौतेदगी नामान्तरण संख्या 371 दिनांक 23.07.2002 को पिता भैराजी से विरासतन प्राप्त हुई है। जो कि अप्रार्थी की स्वार्जित आराजी नही है। उक्त पैतृक पुश्तैनी आराजी में प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित है। अप्रार्थी प्रार्थीगण को रोटी, कपड़ा, मकान आदि नही दे रहा है तथा मारपीट करता है व पैतृक भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक नही है। जिसमें प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम लितरिया की जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 128 में अप्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र भैरा 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 में भैरा पुत्र मंगला वादग्रस्त आराजी का बतौर खातेदार दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 की अंकन अनुसार भैरा पुत्र मंगला फौत होने पर नामान्तरण संख्या 371 दिनांक 23.07.2002 द्वारा भैरा के स्थान पर हगराम, ओमप्रकाश व रकाराम व सुरेश पि. भैरा व कमली पत्नी भैरा दर्ज किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी की स्वार्जित आराजी न होकर पैतृक पुश्तैनी आराजी है तथा प्रार्थी संख्या 02 प 03 अप्रार्थी संख्या 01 ओमप्रकाश की संतान होने के कारण पैतृक आराजी में प्रथम दृष्ट्या जन्म से अपना हक रखते है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 तथा प्रार्थी संख्या 02 व 03 की पैतृक पुश्तैनी आराजी है जो कि अप्रार्थी संख्या 01 की स्वार्जित आराजी नही है। तथा पैतृक पुश्तैनी आराजी में जन्म से निहित अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण संख्या 02 व 03 के पक्ष में निहित माना जाता है। साथ ही यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध नही किया जाता है तो अप्रार्थी अभिलेखीय प्रविष्टियो के आधार पर वादग्रस्त आराजी का रहन बैचान हस्तान्तरण कर सकता है, जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी तथा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति संभव है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होनें से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अभिलेख में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 21(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें से सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

ताफैसलावाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौज़ा लितरिया पटवार हल्का काणेचा के ग्रसरा नम्बर 128 रकबा 2.1853 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी नेमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:06 IST
Reason: SelfAttested